

बुनियादी शिक्षा का सूत्रपातः महात्मा गांधी के नेतृत्व में

Dr. Parul Tyagi*

Temporary Lecturer, Indraprastha Institute of Education and Management, Hapur, Uttar Pradesh

सार – गांधी जी का व्यक्तित्व और आदर्शवादी रहा है। इनका आचरण प्रयोगवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार में लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं।

गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। उनका मूलमंत्र था- “शोषन विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है।

बुनियादी शिक्षा सर्वथा भारतीय शिक्षा है। गांधी जी ने इस शिक्षा के द्वारा नवीन भारतीय समाज-रचना का स्वप्न देखा था, इसके द्वारा वे अपनी कल्पना का मानव निर्माण करना चाहते थे- जिसमें सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का सम्मिश्रण हो। इसी कल्पना को व्यवहारिक रूप प्रदान की दिशा में उन्होंने बुनियादी शिक्षा का प्रादुर्भाव किया। इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ‘टालस्टाय फार्म’ के स्कूल में प्रारम्भ किया। बौद्धिक विषयों के साथ-साथ उद्योग कृषि, बागवानी, पाक-कला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। यहीं उनका शैक्षिक प्रयोग 1911 से 1914 तक चलता रहा।

सन 1915ई0 में वे भारत लौट आये और अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। वहां स्वावलम्बन, श्रमदान और उद्योग को प्रधान स्थान देकर शिक्षण कार्य चलाया।

सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे ‘अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन’ जिसे ‘वर्धा शिक्षा सम्मेलन’ कहा गया था। उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नई योजना को प्रस्तुत किया जो कि मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित तथा उद्योग पर आधारित थी। जामिया मिलिया के तत्कालिक प्रिंसिपल डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ‘जाकिर हुसैन समिति’ का निर्माण किया गया तथा गांधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विद्यायें तथा सम्मलेन द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों के आधार पर ‘नई तालीम’ (बुनियादी शिक्षा) की योजना तैयार की गई तथा 1983 में हरिपुर के अधिवेशन ने इन रिपोर्ट को स्वीकृति दी। जो कि ‘वर्धा- शिक्षा-योजना’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बुनियादी शिक्षा का आधार है।

1939ई0 में विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था और फिर स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ दिनों पूर्व तक बुनियादी शिक्षा का विकास अवरुद्ध-सा हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश की राष्ट्रीय सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का आधार मान लिया। इसके

उपरान्त तो देश में बुनियादी शिक्षा का जाव-सा बिछ गया। बुनियादी शिक्षा का काफी प्रसार हुआ। कतिपय सुधार के साथ शिक्षाक्रम के रूप में यह शिक्षा हमारे यहां प्रचलित है।

गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त में सबसे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करना था। इसमें शिक्षा सार्वभौम व निःशुल्क हो सकेगी। निःशुल्क शिक्षा हेतु छः से ग्यारह वर्ष की उम्र तक के जूनियर बेसिक स्कूल तथा ग्यारह से चैदह वर्ष तक सीनियर बेसिक स्कूल में शिक्षा का पाठ्यक्रम बना। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा का ठोस व सार्वभौम स्वरूप भारतीय जनता के समक्ष उपस्थित हुआ।

गांधी जी ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो। क्योंकि माँ, बाप तथा परिवार का प्यार-दुलार एवं संस्कार मातृ भाषा के माध्यम से ही बच्चे ग्रहण करते हैं। मातृ भाषा के माध्यम से प्राप्त जान सुग्राह्य एवं स्थायी होता है। इसी के द्वारा हम अपने बच्चों की अभिव्यक्ति भी सरल, सुस्पष्ट तथा प्रभावकारी ढंग से कर सकते हैं। मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में मौलिकता का विकास होता है तथा स्वतन्त्र विचार-शक्ति प्रबल होती है। गांधी जी का यह

Dr. Parul Tyagi*

विचार कि 'शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो', अत्यन्त ही समीचीन एवं न्यायसंगत है।

गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को उद्योग केन्द्रित बनाया। देश की आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने उद्योग क्रांतिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। उद्योग उत्पादक हो तथा समाज में प्रचलित हो। उद्योग के सहारे शिक्षा देने से बच्चों को शारीरिक तथा मस्तिष्क का प्रशिक्षण भी होगा। इससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा तथा अनुभव एवं कर्म पर आधारित ज्ञान ठोस एवं स्थायी होगा। इससे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा वास्तविक तथा सार्थक हो सकेगी।

गांधी जी शिक्षा को सत्य, अहिंसा, प्रेम पर आधारित मानते थे। वे सच्ची शिक्षा का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम को मानते थे, क्योंकि इस आधार के बिना शिक्षा निरर्थक व प्राणहीन है साथ ही गांधी जी बालकेन्द्रित शिक्षा पर बल देते हैं। उनका कहना था कि शिक्षा में बालक को प्रमुख स्थान दिया जाए। बालक की आयु, रुचि बुद्धि तथा अन्य क्षमताओं के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था की जाये। गांधी जी ने मनोविज्ञान के सिद्धान्त को स्वीकार किया तथा बालक की रुचि, प्रवृत्ति के अनुरूप ही उद्योग तथा क्रियाशीलनों की व्यवस्था पर जोर दिया।

गांधी जी ने व्यक्ति के सर्वांगिन विकास पर बल दिया। उनका मानना था कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली में न तो व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है न ही आध्यात्मिक और न ही बौद्धिक उन्नति होती है न मानसिक। उन्होंने इस सोचनीय स्थिति का अनुभव कर बुनियादी शिक्षा में बालक के सर्वांगिन विकास करने पर बल दिया। इस पद्धति में किताबी पाठ्यक्रम पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि रचनात्मक काम एवं उद्योग धन्धों को भी प्रमुखता दी गई है। जहां पुस्तकों से बौद्धिक विकास की चेष्टा की गई है वहाँ उद्योग धन्धों से शारीरिक विकास की भी। गांधी जी ने कहा था कि-'बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पैर, नाक, कान अंगों का ठीक-ठाक उपयोग करने से हो सकता है यानि समझ बूझकर शरीर का उपयोग करने से बुद्धि का विकास उत्तम ढग से और जल्दी से जल्दी हो सकता है। इसमें भी यदि परमार्थ की बुद्धि न मिले तो शरीर और बुद्धि का एकांगी विकास होता है। परमार्थ की वृत्ति हृदय यानि आत्मा के क्षेत्र हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के विकास के लिए आत्मा और शरीर का विकास एक-सी चाल से होना चाहिए। इसलिए बुनियादी शिक्षा में उद्योगों को स्थान दिया गया है और बालक के नैतिक विकास पर भी पूर्ण ध्यान देने को कहा गया है। बेसिक स्कूलों में सामूहिक जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता है। इससे बालक में सामाजिकता तथा

सहनशीलता और साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न होती है यही बुनियादी शिक्षा का सार है।

उनका विचार था कि शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य बच्चों का सर्वांगिन विकास करना है। उनके अनुसार 'मनुष्य न तो बुद्धि है न तो पूरी तरह से शरीर से पशु, न तो हृदय और न ही केवल आत्मा। वह मानते थे कि शरीर, बुद्धि और हृदय तीनों का उचित और संतुलित योगदान संपूर्ण और वास्तविक शिक्षा के अर्थशास्त्र का निर्माण करता है। इससे आगे बढ़कर गांधी महसूस करते थे कि शिक्षा में नैतिक आग्रहों का समावेश अवश्य होना चाहिए, इसके तहत उसे सभी बच्चों के चरित्र निर्माण का साधन बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने खासतौर पर बच्चों में शान्ति और नेतृत्व के लिए शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने यह भी महसूस किया कि शिक्षा हमें स्वतंत्रता का अहसास कराने वाली होनी चाहिए।

गांधी जी का तात्कालिक शिक्षा व्यवस्था से मोहम्मंग हो चुका था जिसके बारे में उनका विचार था कि वह प्रकृति में बहुत ज्यादा साहित्यिक और किताबी थी। इसके विकल्प के बतौर उन्होंने शिल्प-केन्द्रित शिक्षा का प्रस्ताव किया। इसे औपचारिक तौर पर वर्धा की बुनियादी शिक्षा के रूप में पेश किया गया था।

गांधी जी ने शिक्षा के व्यवसायिक पक्ष पर काफी जोर दिया, जिसे लागू करने का प्रयास आज के पाठ्यक्रम निर्माता भी कर रहे हैं। बचपन के बारे में उनके सरोकार का केन्द्र बच्चों का मूल स्वभाव था कि वह कैसे सीखता है और उसकी बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, यह सभी मिलकर आज की समसामयिक बाल-केन्द्रित शिक्षा का निर्माण करते हैं।

सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में शिल्प दिया गया महत्व और श्रम को महत्व देने वाले नज़रिये के निर्माण को प्रशिक्षकों द्वारा आज भी महत्व दिया जाता है। वास्तव में सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य जो स्कूल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है उसमें इन उद्देश्यों को संक्षेप में शामिल किया गया है।

गांधी जी ने शिक्षा जीवन के लिए नहीं अपितु "जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा" को सही कहा है। गांधी जी का मार्ग ही उसका पथ आलोकित कर सकता है।

गांधी जी की शिक्षा सबंधी विचारधारा की प्रासांगिता वर्तमान परिपेक्ष्य में उपर्युक्त व्याख्या का मूल्यांकन किया

जाए तो इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि गांधी जी का शिक्षादर्शन वर्तमान परिपेक्ष्य में भी प्रासांगिक है।

संदर्भ ग्रन्थ:

1. विश्वनाथ तिवारी, महात्मा गांधी, सहस्राब्दी का महानायक, सस्ता साहित्य मंडल, 2004
2. प्रो० वी० एम० शर्मा, गांधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ, अकादमी, जयपुर
3. गांधी: मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, 1960
4. डा० हरिवंश तरुण, विश्व के महान शिक्षा शास्त्री, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 1910
5. केदारनाथ सिंह यादव, रामजी यादव, 11 बुनियादी शिक्षा और सामाजिक परवर्तन, अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली, 2009
6. प्रो० रमन बिहारी लाल, 11 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तौगी पब्लिकेशन, मेरठ, 2010-11

Corresponding Author

Dr. Parul Tyagi*

Temporary Lecturer, Indraprastha Institute of Education and Management, Hapur, Uttar Pradesh

tyagi.pearl@gmail.com

Dr. Parul Tyagi*